News Broadcasting & Digital Standards Authority

Order No. 164 (2023)
Complainant: Mr. Matin Mujawar
Broadcaster: Times Now Navbharat
Programme: 'News Ki Pathshala: Muslim Vote के लिए मनमोहन का 'खेल'! Waqf Board Land Scam
Date of Broadcast: 16.9.2022

Since the complainant did not receive a response from the broadcaster within the time stipulated under the NBDSA Regulations, the complaint was escalated to the second level of grievance redressal, i.e., NBDSA.

Complaint:

1) मुस्लिम कानून के तहत वक्फ याने इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति द्वारा धार्मिक कार्य के हेतु समर्पित की हुई चल या अचल संपति है. इस संपत्ति का उपयोग इस्लाम धर्मनुसार मान्यता प्राप्त धार्मिक उद्देश्य के लिए करना है. जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रस्थान ईदगाह वगैरे

2) वक्फ बोर्ड एक लीगल बॉडी है जो वक्फ एक्ट १९५४ के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ और सेंट्रल वक्फ काउन्सिल के जेर ए निगरानी चलता है. वक्फ बोर्ड वक्फ किये संपत्ति की सुरक्षा, निगरानी वगैरे के लिए स्थापित है. वक्फ की गई ज़मीन का कानूनी आर्कियोलॉजिकल, रेव्हेन्यू या लीगल रेकॉर्ड होता है.

3) "न्यूज़ चैनल के पाठशाला में" वक्फ जमीन विषय को लेकर सांप्रदायिक हेडलाइंस से एक धर्म विशेष मुस्लिम समाज का नाम लेकर उसके के विरोध में "नफरत फ़ैलाने का प्रयोग" कुछ इस तरह किया है.

(समय सेकंड ०:१८ से ०:५२ सेकंड)
१) नरेंद्र मोदी, सोनिया गाँधी, मुकेश अंबानी इन सब का घर मुसलमानो का है क्या?
२) मुस्लिम वोट के लिए मनमोहन ने खेल कर दिया था.
३) वक्फ के नाम पर ज़मीन कब्जाने का खेल चल रहा है. ?
४) मोदी के आठ चीते कुनो पार्क में ही क्यों रहेंगे
५)अकबर के चीते वर्सेस मोदी के चीते का चैपटर?

(समय सेकंड ०४:४६ से ०५:३० सेकंड)
६) हिन्दू आबादी वाले गांव पर वक्फ का कब्जा
७) १५०० साल पुराने मंदिर पर वक्फ का कब्जा
८) घर मंदिर दफ्तर की जमीन वक्फ के नाम
९) गांव के ज़मीन पर वक्फ का कब्जा
१०) कागजो में जमीन वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर

4) हमने पाठशाला में वक्फ एक्ट का चैपटर खोला था जिस से पुरे देश को पता चला के कैसे वक्फ एक्ट के जरिये कही बार किसी भी प्रॉपर्टी तो हथिया लिया जाता है और इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया जाता है. हमने तमिलनाडु के उस गांव की कहानी आप को बताई थी जो

"एक हिन्दू बहुल गांव है जहाँपर और अपनी ज़मीन बेचने के लिए हिन्दू को मुस्लिम वक्फ बोर्ड की परमिशन मांगनी पड़ी" क्यों भाई, क्यों की पूरा गांव ही वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया. हमने वक्फ एक्ट के उन सेक्शन के बारे में आप को बताया था जो सेक्युलर भारत में सिर्फ एक धर्म को विशेष अधिकार देता है. ना हिन्दू के पास वो अधिकार है ना सिख के पास है, ना ईसाई के पास है ना पारसी के पास है ना बुद्ध के पास है, बस मुसलमानो को वो अधिकार मिला है, ‘‘सेकुलरिज़्म के नाम पर’’. जब हमने ये चैपटर खोला तो पूरा देश जागा, और आज हर जगह वक्फ के ज़मीन जायदाद की बात हो रही है. वैसे ही जब हमने ज्ञान व्यापी का मुद्दा उठाया तब देश जाएगा और ज्ञानव्यापी पर अलग अलग चॅनेल पर चर्चा शुरू हो गयी, वैसे ही जब हमने मथुरा का मुद्दा उठाया, वो इतियास बताया, जिसकी चर्चा अदालत में तक हुई तब दूसरे चैनल्स आये. वैसे ही आज हमने वक्फ एक्ट के नाम पर सेक्युलर भारत में जो हो रहा है वो किसी अन्याय से कम नहीं इस का चैप्टर खोला तब आज सब कुछ लोग बात करना शुरू कर दिए. आज में वक्फ की इन प्रॉपर्टी पर खुलासा करने जा रहा हु के कैसे कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड मुस्लिम वोट पाने का जरिया बनादिया गया था. इस के लिए में आप को कुछ दस्तावेज बताता हु लेकर आया हु. "The Gazzete of India" ये लिखा हुआ है ना भारत सरकार का दस्तावेज है. और ये एक सीक्रेट दस्तावेज भी लेकर आया हूँ और ये दोनों कांग्रेस के ज़माने के है UPA के जमाने के. पहला गजेट है जो आप को दिखा रहा हूँ जो भारत सर्कार का गैज़ेट है. जो मार्च २०१४ का है याने २०१४ में चुनाव के ठीक पहले का गैज़ेट, ये उस वक्त का गैजेट है जब मनमोहनसिंह प्रधान मंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की UPA सरकार थी. इस गैज़ेट में जो कहा गया है आप सुन कर हैरान रह जायेगे बॉस, क्यों के इस गैज़ेट के जरिये दिल्ली की एक नहीं दो नहीं १२३ सरकारी प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करदिया गया.

दिल्ली की १२३ सरकारी संपत्ति किसको दी गयी दिल्ली वक्फ बोर्ड को और किसने दी मनमोहन सर्कार ने. किस वक्त दी मार्च २०१४ में याने चुनाव शुरू होने के ठीक पहले

(०४:२९ से ८:०० खबरों के भाषा को सुनने के बाद ये साफ़ जाहिर होता है के एंकर सुशांत सिन्हा और बेनेट कोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड (T.V डिवीज़न) का हेतु सिर्फ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचना और इस्लाम और मुसलमानो प्रति नफरत फ़ैलाना है. वक्फ बोर्ड के विषय से एंकर सुशांत सिन्हा ने खबरों में मुस्लिम समाज को टारगेट करने वाली भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया है और एक कम्युनल एजेंडा चलाया है. साथ साथ सेकुलरिज़्म को नुकसान पहुंचने का प्रयास किया है)

5. जब भारत का बटवारा हुआ, इधर से मुसलमान पाकिस्तान गए वहा से हिन्दू इधर आये यहां कई ऐसी जमीने थी जो सर्कार के पास आगई और कहा गया के जो हिन्दू बेचारे अपनी जमीन उधर छोड़ कर आये है, उनको देदीजिये उनको बसा दीजिये, राजिव गाँधी ने ये सारी जमीने उठाकर वक्फ बोर्ड को दे दी. और वो बेचारे विष्णु जैनजी का कहना है के वो वहा पर किराया देखर रहते है. ये ‘‘इस देश में हिन्दुओ का हाल किया गया है’’. यहाँ एक बात पर आप ध्यान दीजिये के दिल्ली वक्फ बोर्ड के "दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी अधिकार के लिये सरकार के खिलाफ भी कोर्ट चला गया" और ये तो सिर्फ १२३ प्रॉपर्टी की बात थी जिन पर सरकार ने अपना अधिकार छोड़ कर वक्फ को देदिया। सोचिये दिली में ऐसी कितनी प्रॉपर्टी रही होंगी। जिस तरह से इनका स्टैंड रहा है उससे तो यही लगेगा के वक्फ बोर्ड चाहे तो आदे से ज्यादा दिल्ली पर उसी का कब्जा होगा और अगर यही रहा तो देश के पीएम का घर और सेंट्रल विस्टा का पूरा एरिया जिस में नयी संसद भी आती है वो भी वक्फ बोर्ड का होजायेगा। क्यों की ये जो आप देख रहे है सेन्ट्रल विस्टा इसकी हालत समजिये पिछले साल ही वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका डालदिति, याचिका में कहा है के छे ऐसे धार्मिक स्थल है जो सेंट्रल विस्टा रीडव्लपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आनेवाले एरिया के अंदर या उसके आसपास है. वक्फ बोर्ड ने कहा है के ये छ सम्पत्तियों में से पांच तो मस्जिद है जो सौ साल पुराणी है. इस में मस्जिद जफ्ता गंज, जामा मस्जिद, नयी दिल्ली मस्जिद सुनेरी बाग़, मजहर सुनेरी बाग़, मस्जिद कृषिभवन, मस्जिद वाइस प्रेसिडेंट हाउस है, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मांग राखी है की इन सम्पत्तियों को बचाना जरूरी है, तब हाई कोर्ट ने कहा के ये संभव नहीं है बॉस के सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट पर रोक का आदेश पारित किया जाए, क्यों की सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही इस पे रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट में यह भी कहा गया के सेन्ट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट से दिल्ली वक्फ बोर्ड के संम्पत्तियो का कोई

भी नुकसान पहुंचाया नहीं जा रहा है. लेकिन कल उठ के कोई दावा करदेंगे के ये PM का घर भी वक्फ संपत्ति है. हर चीज वक्फ संपत्ति है.

कहा कहा का उठा के देदेते है के "औरंगजेब ने है जो है फलाने को गिफ्ट कर दिया था तो अकबर ने उसको देदिया था. " अरे बॉस सब जिस का मन आया एक तो बाहर से आकर जम गए और इसके बाद इसको उठाकर दे दिए, उसको उठाकर दे दिए तो फिर पूरा इंडिया ही आप की वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाये" इसी तरह वक्फ बोर्ड कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोंग्रेस अध्यक्ष १० जनपथ पर भी दावा कर सकता है. बताता हूँ क्यों? सोनिया गाँधी के घर के परिसर के पास एक मजार है. इस मजार पर नजर तब पड़ी जब इस मजार पर १८ मार्च को गुलाम नाभि आजाद सोनिया गाँधी से मिलने उनके घर गए गुलाम नबी आजाद की उनके घर पहुंचने की तस्वीरें तब सामने आई तो उसमे मजार दिखा। वक्फ एक्ट १९९५ के सेक्शन ४० के तहत वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है के वो किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है. अधिकतर वक्फ संपत्ति ईदगाह है, मजार है और खेत है, हालांकि अभी ये साफ़ नहीं है के ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं लेकिन कल को वक्फ कह दे के ये दस जनपथ जहा सोनिया गाँधीजी रहती है ये भी वक्फ की संपत्ति है, तो १९९५ का एक्ट है जो नरसिंम्हा राव सरकार बनाकर गयी थी वो सोनिया गाँधी का घर भी होजायेगा वक्फ प्रॉपर्टी ? १२३ में १२४ हो जाएगा, दस जनपथ चलजाएगा (जजमेंटल) कहा है. ये हो सकता है, अभी मै ये नहीं कह रहा हु के होही जाएगा। लेकिन कल को ठोक देंगे दावा तो ये हो सकता है. दिल्ली का और एक उदहारण आप को बताता हूँ नेरावली इलाखे के लड़ा सराव में पहाड़ी पर ५ ,७ कब्र के साथ कुछ साल पहले एक मस्जि बनाई गयी, वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा रखा है. ये जमींन उसकी है. इसी के साथ वक्फ बोर्ड का दावा है के साथ बिगा जमीन भी उसकी है. लेकिन इसी जगह के पास ही दिल्ली प्राधिकरण का बोर्ड भी लगा है उसमे उस जगह पर कब्जा ना करने की चेतावनी दी हुई है, मतलब एक तरफ वक्फ बोर्ड कह रहा है मेरी जमीं है और दूसरी तरफ डीडीए कह रहा है ये मेरी जमीन है. आस पास के लोग भी दावा करते है के सारि जमीं डीडीए की है लेकिन पांच साल पहले ही यहापर मस्जिद बना दी गयी है. ये दिल्ली की लोकेशन दिखरहा बड़ी बड़ी (भडका रहा है) बोर्ड लगा दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और १९९५ का एक्ट ऐसी पावर देके जाता है तो करेंगे ही. वक्फ एक्ट १९९५ से जो ताकते वक्फ बोर्ड को मिली उन से इस बोर्ड को बहोत ताकतवर बना दिया गया. ऐसे कई मामले सामने आये जहा वक्फ बोर्ड के संचालन में गड़बड़िया पाईगई। और इतनी इतनी जमीन रहेगी तो गड़बड़ी तो होगीही। भाई इस देश के अंदर आर्मी के पास बड़ी तादाद में जमीन है, भारतीय फ़ौज के पास, रेलवे के पास. तीसरे नंबर पे कौन है ??? वक्फ बोर्ड। पुरे देश में सब से ज्यादा जमीं के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है

रिपोर्टिंग एक तरफा कि गयी है, वक्फ बोर्ड और मुसलमानो को पुरे कहानी का खलनायक और अपराधी बनाया गया है. "NBDSA के मानकों के अनुसार खबरों में रिपोर्टिंग पक्षपात रहित होनी चाहिए और उस में वास्तु निष्ठा होनी चाहिए और निपक्षता सुनिश्चित की जाए ये भी कहा है" ऐसे होते हुए भी बेनेट कोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड (T.V डिवीज़न) NBDSA के नियमों को तोड़ने से निर्माण होने वाले क़ानूनी परिणामो की जानकारी होते हुए भी खुले आम नियमो को कचरे का डिब्बा दिखाया है.

6) टाइम्स नाउ नवभारत देश में अशांति फ़ैलाने वाली, सामजिक तथा धार्मिक भवनाओ को चोट पहुंचने वाली, समाजो में द्वेष निर्माण करने वाली, कट्टर और देश को हिंसा के तरफ लेजाने वाले भाषा का प्रयोग किया है और लगातार करता आया है.

7) टाइम्स नाउ नवभारत ने न्यूज़ माद्यम का गलत इस्तेमाल करके देश में हिन्दू मुस्लिम तनाव बनाकर देश में हिन्दू मुस्लिम हिंसा करवाने की साजिश कर रहा है.

Reply dated 13.10.2022 from the broadcaster ;

The broadcaster, in its response, stated as follows:

1. वक्फ एक्ट के बारे में जो भी हमने बताया वो तथ्यों के आधार पर कहा था, भारत सरकार का 5 मार्च 2014 का गैजेट नोटिफिकेशन है। जिसमें ये साफ-साफ लिखा है कि दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टी पर दावा छोड़ा गया और सभी संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। क्योंकि ये फैसला उस दिन लिया गया जिस दिन लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने वाली थी इसलिए इसका राजनीतिक एंगल भी देखना जरूरी था, उसी की बात हमने की। इसमें हमने नेताओं की वोट बैंक पॉलिटिक्स पर सवाल उठाएं, किसी वर्ग विशेष के बारे में नहीं कहा।

2. हमने वक्फ बोर्ड के संचालन में गड़बड़ियों और वक्फ एक्ट की आड़ में हो रही मनमानियों के आरोप को लेकर सवाल उठाए थे। पत्रकार होने के नाते किसी सरकार के फैसले या किसी संस्था जो देश के कानून के तहत बनी है, उस पर लग रहे आरोपों को लेकर विश्लेषण करना हमारा अधिकार है। अगर किसी कानून में कुछ गलतियां हैं तो जनहित के लिए उसे सामने लाना जरूरी होता है। वही काम हमने किया है। इसमें ये मान लेना कि या ये समझ लेना कि ये रिपोर्टिंग किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है, इसलिए इस रिपोर्टिंग को नहीं करना चाहिए तो ये सही नहीं है। हमने किसी वर्ग विशेष को टारगेट नहीं किया।

3. वक्फ बोर्ड से जुड़े कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं, इसमें सरकार के मामले भी हैं और निजी व्यक्तियों के मामले भी हैं। हमने इन्हीं आधार और ऐसे ही मामलों को लेकर वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट पर रिपोर्टिंग की है और उन्हीं आधार पर इसका विश्लेषण किया है।

4. हमने मुकेश अंबानी के घर पर वक्फ संपत्ति की बात भी की है, वो भी मामला कोर्ट में जा चुका है और ये सारे फैक्ट सार्वजनिक हैं। इसलिए ये कहना कि ये किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है ये सही नहीं है

5. हमने पूरे शो में ऐसा फैक्ट नहीं दिया जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। पूरी स्टोरी सरकारी दस्तावेज़ों और कोर्ट में चल रह मामलों के आधार पर बनाई गई है। वक्फ एक्ट को लेकर मीडिया में लगातार बात हो रही है।

6. वक्फ एक्ट पर बात करते हुए हमने कई बार उन लोगों की भी बात की, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया, और उन लोगों की बात भी है, जिनकी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ की बता दी गई। इसमें पीड़ित दोनों समुदाय के लोग हैं।

The broadcaster reiterated that the allegations raised in the subject complaint, specifically accusing the channel of creating social and cultural unrest by conducting the said debate on the Waqf Board issue, were baseless and lacked merit. The impugned programme was based on facts regarding the Waqf Act, and the gazette notification of the Government of India dated 5.3.2014. The debate looked at the political angle given to this issue, discussed vote bank politics, and was not against any particular class or community. Through the impugned programme, the channel had raised questions about the allegation of irregularities in the operation of the Waqf Board and the arbitrariness taking place under the guise of the Waqf Act. As journalists, it was well within their rights to analyze the decisions of a government or the allegations against an institution formed under the law of the land. These issues were raised in the public interest, and it is erroneous to assume that such reporting was done against a particular class/community.

Many cases related to the Waqf Board are going on in the Courts; there are also cases of the Government and private individuals. It had reported and analysed the Waqf Board and the Act on these grounds. The channel also talked about Waqf property at Mukesh Ambani's house, which is in Court. All information and facts used in the program were based on publicly available information and government/court documents. The channel had also covered issues where people encroached on

Waqf's property and those whose property was wrongly described as BEING Waqf's. The victims were people from both communities. Hence there was no bias or targeted coverage against a particular community as alleged. The programme was based on available facts and in the public interest.

Counter reply dated 15.10.2022 from the complainant:
In response to the broadcaster's reply dated 13.10.2022, the complainant stated that the Hon'ble Supreme Court itself had raised concerns about the reporting by the news channels and reprimanded the manner in which the subject of Waqf land was being presented in front of the audience.

The complainant stated that the methodology of reporting was unconstitutional, inciting and provoking hatred and anger among the viewers towards the minorities. The broadcast had more Hindu-Muslim agenda than reporting. The news report lacked impartiality, neutrality and fairness. The news channel represented minorities as villains in society. The reply of the broadcaster appeared to be baseless and an attempt to escape from the clutches of law. The complainant, therefore, urged NBDSA to consider the facts of the news and prayed for stringent action to be taken against the channel.

Decision of NBDSA taken at its meeting held on 28.10.2022
NBDSA considered the complaint, response of the broadcaster and after viewing the footage of the broadcast has decided to call both the parties for a hearing at the next meeting.

Hearing on 11.11.2022
On being served with notices the following persons were present at the hearing on 11.11.2022:

Complainant:
Mr. Matin Mujawar

Broadcaster:
Mr. Kunal Tandon, Advocate
Ms. Kirtima Maroovar, Compliance Officer NBDSA
Mr. Swaprem, News Editor
Mr. Siddhartha Talya, Senior News Editor

Submissions of the Complainant:
The complainant submitted that the impugned broadcast titled "Waqf Board Land Scam" was aired on 16.9.2022.

1) मुख्या कंप्लेंट के पॉइंट नंबर तीन के अनुसार वक्फ विषय को भड़काऊ तरीके से पेश किया गया है. हेडलाइंस स्वय इस बात की पुष्टि करती है के वक्फ मिलकियत के साथ साथ अल्पसंख्यकों के खिलाफ चेतावनी दी गई है.

२) मुख्या कंप्लेंट के पॉइंट नंबर चार और पांच, समय ०४:२९ से ८:०० में हिन्दू और मुस्लिम साम्प्रदायिकता उत्तेजित करने वाली भाषा का प्रयोग करके देश के सेक्युलर ढांचे को बहोत बड़ा नुकसान पहुंचने की साजिश की गयी है. एक सांप्रदायिक एजेंडा चलाया गया है.

३) जिस विषय की कोर्ट में सुनवाई चालू है, उसके विषय में मनघडंत निष्कर्ष लगाकर और गलत सलत तर्क के आधार पर दर्शकों को गुमराह किया गया है. मीडिया ट्रायल चलाई गई है. इस तरह से कोर्ट के काम में दखल अंदाजी की है और यह कोर्ट का अपमान है. कोर्ट ने भी स्वयं इस पर ऐतराज जताया और फटकारा है.

४) इस तरह TIMES NOW Navbharat ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नीति संहिता और प्रसारण मानकों का उल्लंघन किया है. खंड एक "मौलिक या बुनियादी सिद्धांत १,४,५ का उल्लंघन किया है तथा खंड २ आत्मनियंत्रण का सिद्धांत १, २ का उल्लंघन किया है.

Submission of the Broadcaster:

The broadcaster submitted that the impugned broadcast must be considered in its entirety. The impugned broadcast was based on a notification dated 5.3.2014, under which certain properties were notified to be given to the Waqf Board. In this regard, the broadcaster submitted that it may be relevant to note that a petition was also filed before the Hon'ble Delhi High Court challenging the Notification, which was considered as a representation by the Hon'ble High Court. It asserted that the impugned broadcast was only in respect of the notification and the manner in which the notification was issued prior to the change in the Government. In the impugned broadcast, a discussion was conducted on how and why properties were given to the Waqf Board by way of the notification, and the broadcast was only in respect of the Waqf Board and the Waqf Act. In any event, the broadcaster submitted that since the complainant had failed to establish a lack of objectivity or an attempt to incitement of an offence or media trial in the impugned broadcast, the complaint against it ought to be dismissed.

NBDSA asked the broadcaster to explain the context behind the tickers and/or headlines aired during the programme. The broadcaster submitted that there was a village in Tamil Nadu with predominantly Hindu population, which was referred to in the broadcast, where as a result of the said notification, all properties which were owned by villagers were going to vest with the Waqf Board. The broadcaster submitted that the impugned broadcast was not in the context of Muslims or Hindus but only in respect of the notification, as a result of which the legal ownership of the notified properties would now vest with the Waqf Board. It clarified that the ticker "नरेंद्र मोदी, सोनिया गाँधी, मुकेश अंबानी इन सब का घर मुसलमानो का है क्या? was also aired only in this context.

NBDSA questioned whether the notification also included properties located in Tamil Nadu. In response, the broadcaster submitted that the notification was mainly in respect of properties in Delhi. Further, in view of the submission made by the broadcaster that the Notification primarily pertained to properties located in Delhi,

NBDSA questioned the broadcaster how did it conclude that "१५०० साल पुराने मंदिर पर वक्फ का कब्जा" and asked whether there was any factual basis behind the aforesaid statement.

The broadcaster submitted that the anchor had only discussed the notification and events surrounding the notification. The broadcaster reiterated that its entire reporting was based on true facts arising out of (i) gazette notification dated 5.3.2014, (ii) Orders passed by the Delhi High Court on 28.8.2014, which led to the formation of the one-person committee and later on, a two-person committee, (iii) Orders dated 9.3.2022 and 20.4.2022, all of which were in the public domain.

It submitted that the impugned broadcast was conducted in an open and objective manner and did not cause any incitement of communal bias or influence or mislead the viewers in any manner whatsoever. The impugned broadcast was merely a discussion and advocacy on an issue related to public interest, importance and national interest. Therefore, it urged the Authority that the said programme must be seen in its entirety to understand the context in which the matter was presented. The matter at hand was not related to any religion but in respect of the Waqf Board, which got several properties allotted to itself, which was questioned in the impugned broadcast.

Decision of NBDSA at its meeting held on 11.11.2022

NBDSA went through the complaint, response of the broadcaster and also gave due consideration to the arguments of the complainant and the broadcaster and reviewed the footage of the broadcast. In view of the fact that the broadcaster had submitted during the hearing that the notification dated 5.3.2014, which was the subject of the impugned broadcast, pertained primarily to properties located in Delhi, NBDSA decided to inquire from the broadcaster how it came to a conclusion in respect of properties located in a village in Tamil Nadu being acquired by the Waqf Board. NBDSA, therefore, decided to defer its decision in the complaint to consider the response of the broadcaster. NBDSA decided to inform the broadcaster accordingly.

Response dated 22.11.2022 of the Broadcaster

In response to the query raised by the Authority regarding the source of the reference made to a village in Tamil Nadu in the impugned broadcast, the broadcaster submitted that the impugned broadcast refers to a village in Tamil Nadu whereby a similar issue of granting / vesting of properties in the Waqf Board was raised. This was widely reported earlier in the news media, and the impugned programme also made a reference to such a news report. The reference to the village in Tamil Nadu was, therefore, not out of context but relevant as it dealt with how properties were being vested in the Waqf Board. The broadcaster relied on news reports in support of its submission. In view of the above, the broadcaster submitted that there was no violation of any guidelines of the Hon'ble Authority in the impugned broadcast.

Decision of NBDSA at its meeting held on 28.1.2023
NBDSA considered the reply dated 22.11.2022 filed by the broadcaster in response to its query. NBDSA decided to call the parties for a further hearing to consider additional submissions if any of the parties.

Hearing on 11.03.2023
On being served with notices the following persons were present at the hearing 11.03.2023:

Complainant:
Mr. Matin Mujawar

Broadcaster:
Mr. Kunal Tandon, Advocate
Ms. Niti Jain, Advocate
Ms. Kirtima Maroovar, Compliance Officer NBDSA

Submissions of the Complainant:
The complainant submitted that the subject complainant had been heard by the Authority on 11.11.2022. At the date of hearing, NBDSA had inquired from the broadcaster how did it come to the conclusion in respect of properties located in a village in Tamil Nadu being acquired by the Waqf Board. The complainant submitted that the said question arose from a statement made by the anchor during the programme wherein he had claimed that "एक हिन्दू बहुल गांव है जहाँपर और अपनी ज़मीन बेचने के लिए हिन्दू को मुस्लिम वक्फ बोर्ड की परमिशन मांगनी पड़ी" क्यों भाई, क्यों की पूरा गांव ही वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया. हमने वक्फ एक्ट के उन सेक्शन के बारे में आप को बताया था जो सेक्युलर भारत में सिर्फ एक धर्म को विशेष अधिकार देता है. ना हिन्दू के पास वो अधिकार है ना सिख के पास है, ना ईसाई के पास है ना पारसी के पास है ना बुद्ध के पास है, बस मुसलमानो को वो अधिकार मिला है, ''सेकुलरिज़्म के नाम पर''. जब हमने ये चैपटर खोला तो पूरा देश जागा, और आज हर जगह वक्फ के ज़मीन जायदाद की बात हो रही है. वैसे ही जब हमने ज्ञान व्यापी का मुद्दा उठाया तब देश जाएगा और ज्ञानव्यापी पर अलग अलग चॅनेल पर चर्चा शुरू हो गयी, वैसे ही जब हमने मथुरा का मुद्दा उठाया, वो इतियास बताया, जिसकी चर्चा अदालत में तक हुई तब दूसरे चैनल्स आये. वैसे ही आज हमने वक्फ एक्ट के नाम पर सेक्युलर भारत में जो हो रहा है वो किसी अन्याय से कम नहीं इस का चैप्टर खोला तब आज सब कुछ लोग बात करना शुरू कर दिए''.

In view of the aforesaid statement made by the anchor, the broadcaster was required to give its answer in respect of the aforesaid query raised by NBDSA.

Submissions of the Broadcaster:
The broadcaster reiterated its reply dated 22.11.2022. It submitted that in the impugned broadcast, reference was made to a village in Tamil Nadu whereby a similar issue of granting / vesting of properties in the Waqf Board was raised. This was widely reported earlier in the news media, and the impugned programme also made a reference to such news reports. The reference to the village in Tamil Nadu was, therefore, not out of context but relevant as it dealt with how properties were

being vested in the Waqf Board. In support of its submissions, the broadcaster relied on news reports by Time Now, Hindustan Times and The Hindu.

The broadcaster reiterated that the anchor conducted the impugned broadcast based on material facts which were publicly available and based on the investigation and ground report conducted by the reporter.

In the broadcast, the anchor had only questioned the actions taken by the then Prime Minister in the backdrop of elections, which appeared to be politically motivated. The broadcast further sought to raise questions on the irregularities in the operations of the Waqf Board and not on any community.

The broadcaster submitted that if a fact is against a particular community, it would still be a fact. A fact cannot take shelter on communal ground even if it is against any community. Such questions were necessary to uncover the truth and to inform the viewers/public who access news media to get such updates and information.

The decision to transfer the disputed 123 properties to the Waqf Board vide gazette notification of the Government of India dated 5.3.2014, just before the code of conduct was implemented in respect of the elections, gives rise to the justifiable doubts. That the anchor did not endorse any 'personal' views or beliefs to make a point during the broadcast, and the broadcast was solely based on the incriminating material being discovered during the probe carried out on the basis of government notifications and court orders available on public platforms.

Decision

NBDSA considered the complaint, response from the broadcaster and also gave due consideration to the submissions of the complainant and the broadcaster and viewed the footage of the broadcast.

NBDSA noted that it was the submission of the broadcaster that in the impugned programme *'News Ki Pathshala: Muslim Vote* के लिए मनमोहन का 'खेल'! *Waqf Board Land Scam'*, it had conducted an analysis of the Waqf Act and the Gazette Notification dated 5.3.2014, which transferred 123 disputed properties to the Waqf Board. NBDSA further noted that it was also the broadcaster's submission that the impugned programme was not in respect of any particular class or community, rather through the programme, it had looked at the political angle being given to this issue and had raised questions about the alleged irregularities in the operation of the Waqf Board and the arbitrariness taking place in the allocation of land under the guise of the Waqf Act.

NBDSA observed that there would have been no problem with the broadcast if the broadcaster had confined its analysis to the Waqf Act, the operation of the Waqf Board and had commented on certain actions being allegedly taken by the Government to appease a minority group. However, from the tickers "नरेंद्र मोदी, सोनिया

गाँधी, मुकेश अंबानी इन सब का घर मुसलमानो का है क्या?" and the unverified and speculative statements made by the anchor, like "वक्फ के नाम पर ज़मीन कब्जाने का खेल चल रहा है" during the programme, it is clear that apart from the objective of the broadcast to project the criticism of the Waqf Act, if at all there was such an objective, the objective was also to go beyond under the garb of the working of the Waqf Act, and in this process, the broadcaster violated the Code of Ethics & Broadcasting Standards ('Code of Ethics') & Guidelines.

NBDSA stated that while the manner of presentation is part of the editorial freedom of the channel, however, such freedom is to be exercised by the broadcasters within the confines of the Code of Ethics and Guidelines/ Advisories issued by it.

In the instant case, the manner in which the issue of the working of Waqf Act was dealt with by overstepping the said issue and projecting other issues unconnected therewith, certain portions of the programme lacked objectivity and neutrality. Therefore, NBDSA held that by airing the impugned broadcast, the broadcaster had violated Fundamental Standards 1, 4 and 6 and the principles relating to Impartiality and Objectivity in reporting and Ensuring Neutrality under the Code of Ethics. Further, the impugned broadcast had also violated the Specific Guidelines covering Reportage, particularly Guideline 1.6 and 2.1, which requires broadcasters to ensure that *"facts should be clearly distinguishable from, and not be mixed-up with, opinion, analysis and comment"* and *"... broadcasters should remain neutral and ensure that diverse views are covered in their reporting, especially on a controversial subject, without giving undue prominence to any particular view"*.

In view of the above violations, NBDSA decided to issue a warning to the broadcaster directing it not to repeat the aforementioned violations in future broadcasts.

NBDSA further directed the broadcaster to either remove the video of the said broadcast, if still available on the website of the channel or YouTube, and remove all hyperlinks, including access which should be confirmed to NBDSA in writing within 7 days of the Order or remove the offending portions of the video including offending tickers and post the edited version which is compliant with the Code of Ethics and Guidelines.

NBDSA decided to close the complaint with the above observations and inform the complainant and the broadcaster accordingly.

NBDSA directs NBDA to send:
(a) A copy of this Order to the complainant and the broadcaster;
(b) Circulate this Order to all Members, Editors & Legal Heads of NBDA;
(c) Host this Order on its website and include it in its next Annual Report and
(d) Release the Order to media.

It is clarified that any statement made by the parties in the proceedings before NBDSA while responding to the complaint and putting forth their view points, and any finding or observation by NBDSA in regard to the broadcasts, in its proceedings or in this Order, are only in the context of an examination as to whether there are any violations of any broadcasting standards and guidelines. They are not intended to be 'admissions' by the broadcaster, nor intended to be 'findings' by NBDSA in regard to any civil/criminal liability.

Sd/-

Justice A.K Sikri (Retd.)
Chairperson

Place: New Delhi
Date : 26.07.2023